




# राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद

द्वितीय मंजिल, ब्लॉक पांच, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर.



फोन : 0141-2719073

Email : rajssarte@gmail.com

फैक्स : 0141-5107388

क्रमांक : राप्राशिप/जय/आर.टी.ई./2017-18/ 13128


दिनांक : 21/18

जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) शिक्षा  
जिला.....(समस्त जिलें)

विषय:- प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर गैर-सरकारी विद्यालयों की विद्यालय प्रोफाइल में संशोधन के क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए गैर-सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश का कार्य प्रारम्भ हो गया है। विद्यालयों में प्रवेश, भौतिक सत्यापन एवं फीस के पुनर्भरण हेतु स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश पत्रांक प.12(6) शिक्षा-5/आरटीई दिशा-निर्देश/2014 पार्ट, जयपुर द्वारा दिनांक 02.02.2018 को जारी कर दिये हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों को अपनी विद्यालय प्रोफाइल दिनांक 15.02.2018 तक अनिवार्य रूप से अपडेट करनी है।

विद्यालय प्रोफाइल में डाइस कोड, एंट्री कक्षा, स्कूल का प्रकार (छात्र/छात्रा/सह शिक्षा) एवं विद्यालय अल्प संख्यक स्थिति में संशोधन स्वयं विद्यालय अपने लॉगिन से कर सकते हैं। विद्यालय का माध्यम, नाम, पता, ग्राम/वार्ड, ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय एवं ब्लॉक में किसी भी प्रकार का संशोधन सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन से किया जायेगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के लॉगिन में प्रबन्धन टेब में "अपडेट स्कूल डिटेल" माड्यूल उपलब्ध है। इस माड्यूल के माध्यम से विद्यालय की सूचनाओं में कोई भी परिवर्तन करने से पहले विद्यालय से लिखित में आवेदन पत्र प्राप्त किया जाये तथा आवेदन के साथ मान्यता की प्रति संलग्न करवाई जाये। मान्यता आवेदन पत्र में दर्ज सूचनाओं के आधार पर ही परिवर्तन किये जायें। यदि विद्यालय का माध्यम, नाम, पता, ग्राम/वार्ड, ग्राम पंचायत/शहरी स्थानीय निकाय एवं ब्लॉक सम्बन्धी कोई सूचना मान्यता प्रमाण-पत्र में उपलब्ध नहीं है तो संशोधन नहीं किया जाये।

  
(सुरेश चन्द्र)  
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप., जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप., जयपुर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक एवं पीएसपी प्रभारी, एनआईसी, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त आयुक्त